अधिसूचना सं0 23/2014-सीमाशुल्क   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि.   (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाता है, उस पर उदगृहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आयातकर्ता उक्त माल की निकासी से पूर्व अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क के समक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव के रैंक से अन्यून अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल एड्स, क्षयरोग और मलेरिया की रोकथाम करने के लिए वैश्विक निधि (ए.क्ष.म.वै.नि.) द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित है, छूट प्रदान करती है :-

सारणी

(1)	(2)
माल	विवरण
रेटरोवायरल-रोधी ओषधियां (रे.वा.रो. ओषधियां)	<u>वयस्क प्रथम पंक्ति</u> - जिडोवूडाइन 300 मि. ग्रा. + लेमिवुडाइन 150 मि. ग्रा. + नेवीरापाइन 200 मि. ग्रा., जिडोवुडाइन 300 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 150 मि. ग्रा. + टेनोफाइविर 300 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 150 मि. ग्रा., टेनोफाइविर 300 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 300 मि. ग्रा., नेवीरापाइन 200 मि. ग्रा., इफावाइरेंज 600 मि. ग्रा. + स्टावुडाइन 30 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 150 मि. ग्रा., + नेवीरापाइन 200 मि. ग्रा., स्टावुडाइन 30 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 150 मि. ग्रा., अबाकैबीर 600 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 300 मि. ग्रा., टेनोफाइविर 300 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 300 मि. ग्रा., + ईफावाइरेंज 600 मि. ग्रा.
	<u>वयस्क दूसरी पंक्ति</u> - अताजानावीर 300 मि. ग्रा. कैप्सूल,

	रिटोनावीर 100 मि. ग्रा. टेबलेट, लोपिनावीर 200 मि. ग्रा. + रिटोनावीर 50 मि. ग्रा. टैबलेट
	बाल ओषधियां - जिडोवूडाइन 60 मि. ग्रा. + लेमिवुडाइन 30 मि. ग्रा. + नेवीरापाइन 50 मि. ग्रा. टैबलेट, स्टावुडाइन 6 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 30 मि. ग्रा. + नेवीरापाइन 50 मि. ग्रा. टैबलेट , अबाकैबीर 60 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 30 मि. ग्रा. + जिडोवूडाइन 60 मि. ग्रा. + लेमिवुडाइन 30 मि. ग्रा. टैबलेट, स्टावुडाइन 6 मि. ग्रा. + लेमीवुडाइन 30 मि. ग्रा. टैबलेट + नेवीरापाइन 50 मि. ग्रा., इफावाइरेंज 200 मि. ग्रा. टैबलेट, लोपिनावीर 100 मि. ग्रा. + रिटोनावीर 25 मि. ग्रा. टैबलेट,
नैदानिक और उपस्कर	विभेदक (सीडी) 4 किटों का कलस्टर/अभिकर्मक/पूर्वतर शिशु नैदानिक डीएनए परीक्षण के लिए एचआईवी - डीएनए - पीसीआर किटें, वायरल लोड किटें, सीडी4 मशीनें, वायरल लोड मशीनें

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार